

राजस्थान-सरकार  
निदेशालय,राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग  
'बीमा भवन' जयसिंह हाईवे,बनीपार्क,जयपुर।

क्रमांक :- एफ.93/कम्प/ऑनलाईन प्रोसेस/2018/

दिनांक

## परिपत्र


वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक प.4(8)वित्त/राजस्व/05 पार्ट जयपुर दिनांक 24.11.2009 के द्वारा राजस्थान के समस्त राज्य कर्मचारियों का मास्टर डाटा तथा उनके जीपीएफ, राज्य बीमा एवं नवीन पेंशन योजना के खातों/पॉलिसी संख्या एवं मनोनीत का डाटाबेस तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त डाटाबेस के आधार पर राज्य कर्मचारियों को 16 डिजिट की एम्प्लॉई आईडी जारी की जा रही है। इस सम्बन्ध में राज्य कर्मचारियों तथा आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा समय-समय पर चाहे गये स्पष्टीकरणों/मार्गदर्शन के आधार पर पुनः स्पष्ट किया जाता है कि :

1. एसआईपीएफ पोर्टल पर कार्मिक के सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा भरे गये विवरण के आधार पर एक 16 डिजिट की अल्फा-न्यूमेरिक यूनिक एम्प्लॉई आईडी जनरेट होती है, जोकि विशिष्ट एवं अपरिवर्तनीय होती है।
2. एम्प्लॉई आईडी के प्रथम दो अल्फा डिजिट राजस्थान राज्य को, अगले दो अल्फा डिजिट जिले को, अगले चार न्यूमेरिक डिजिट नियुक्ति वर्ष को (जैसा कि आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा भरा गया है), अगले दो न्यूमेरिक डिजिट बीमा विभाग के जिला कार्यालय के कोड तथा अन्तिम छः न्यूमेरिक डिजिट कर्मचारी को आवंटित क्रमांक के होते हैं।
3. एसआईपीएफ पोर्टल द्वारा जारी की गई एम्प्लॉई आईडी बहु उपयोगी है, जिसे राज्य सरकार के विभिन्न सॉफ्टवेयर भी कार्मिक की पहचान के रूप में काम में ले रहे हैं। एसआईपीएफ विभाग के समस्त कार्य यथा खाता संधारण, एप्लीकेशन डिस्पोजल, ऑनलाईन भुगतान आदि इसी एम्प्लॉई आईडी के विरुद्ध किये जा रहे हैं।
4. कर्मचारी के राजकीय सेवा में विभाग परिवर्तन होनेया एक सेवा से दूसरी सेवा में चयन होने पर तथा कर्मचारी के स्थानान्तरण की स्थिति में एम्प्लॉई आईडी में परिवर्तन नहीं होगा, पूर्व में जारी एम्प्लॉई आईडी ही निरंतर जारी रहेगी।
5. कर्मचारी की एम्प्लॉई आईडी में किसी भी प्रकार की विसंगति यथा नाम, जन्म तिथि एवं मनोनयन के संबंध में आवश्यक संशोधन या फेमिली डिटेल, बैंक डिटेल, मोबाइल नम्बर आदि का अपडेशन कार्मिक के आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा किया जायेगा।
6. कर्मचारी के स्थानान्तरण, विभाग परिवर्तन एवं एक सेवा से दूसरी से सेवा में चयन होने की स्थिति में कर्मचारी की एम्प्लॉई आईडी को PULL करने एवं सर्विस डिटेल में परिवर्तन के एक्सेस सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी को उपलब्ध है।

www.rajteachers.com

अतः सभी कर्मचारियों/आहरण एवं वितरण अधिकारियों/कार्यालयाध्यक्षों से पुनः अनुरोध है कि एसआईपीएफ पोर्टल पर एम्प्लॉई डाटा सबमिट करने में पूर्ण सावधानी बरती जावे, प्रमाणिक सूचना ही पोर्टल पर अपलोड की जावे। यदि पूर्व में कोई सूचना गलत फीड कर दी गई है तो एम्प्लॉई आईडी की संरचना को छोड़कर अन्य सूचनाओं में डीडीओ/एसआईपीएफ जिला कार्यालय द्वारा समुचित परिवर्तन किया जा सकता है।

एसआईपीएफ विभाग द्वारा राज्य कर्मचारियों को दी जा रही सेवाओं के निस्तारण में गति के क्रम में सभी आहरण एवं वितरण अधिकारियों से अपेक्षा है कि वे अपने अधीनस्थ समस्त कार्मिकों के एम्प्लॉई मास्टर डाटा की एक बार पुनः समीक्षा करें, जिसमें जन्म तिथि, मोबाइल नम्बर, ई-मेल एड्रेस, फेमिली डिटेल्, वैध मनोनयन आदि सूचनाओं की शीघ्र अपडेट करावे, ताकि विभाग द्वारा निष्पादित ऑनलाईन सेवाओं से राज्य कर्मचारियों को शीघ्र, तत्काल व लाभ प्राप्त हो सके।


  
(आनन्द स्वरूप)  
निदेशक

क्रमांक :- एफ.93/कम्प/ऑनलाईन प्रोसेस/2018/1702-1768  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

दिनांक 09.01.2019

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बीमा/पेंशन) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
3. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर अनुरोध हैं कि राज्य के समस्त कोषाधिकारियों को अपने स्तर पर उक्त परिपत्र की प्रति उपलब्ध करावे।
4. वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा/प्राणि/एनपीएस/सतर्कता/साबीयो राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
5. अतिरिक्त निदेशक, प्रशासन/विधि एवं प्रशिक्षण/डिजिटलईजेशन/मेडिकलेम, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
6. लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त निदेशक (प्राणि), राज्य बीमा एवं प्राणि विभाग, जयपुर।
7. अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्राणि विभाग, समस्त संभाग कार्यालय .....
8. संयुक्त/उप/सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्राणि विभाग, समस्त जिला कार्यालय को प्रेषित कर लेख है कि अपने जिले के सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारियों को अपने स्तर पर उक्त परिपत्र की एक-एक प्रति उपलब्ध करावें।
9. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर को विभाग की वेब-साईट [www.sipf.rajasthan.gov.in](http://www.sipf.rajasthan.gov.in) पर अपलोड करने हेतु।
10. सिस्टम अनुभाग के समस्त अधिकारीगण।
11. रक्षित पत्रावली।

[www.rajteachers.com](http://www.rajteachers.com)

  
(धनलाल शेरवत)  
अतिरिक्त निदेशक, सिस्टम्स